

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम

केरल- 695 011, भारत

(एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार)

**SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL
SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM**

KERALA -695011, INDIA

(An institution of National importance, Department of Science and Technology, Govt. of India)

विवरण पत्रिका
PROSPECTUS

शैक्षणिक कार्यक्रम

ACADEMIC PROGRAM

एमडी आधान चिकित्सा
(MD Transfusion Medicine)

सत्र -जनवरी 2022

SESSION-January 2022

www.sctimst.ac.in

विषय सूचा		पृष्ठ संख्या
भूमिका		03
प्रस्ताव पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम- सत्र 2022 (आईएनआई-सीईटी से)		04
वेतन		04
पीजी कार्यक्रम का विवरण		05
विशेष जानकारी		05
प्रायोजित उम्मीदवार		07
विदेशी नागरिकों		08
रैगिंग विरोधी शपद पत्र		09
शुल्क संरचना		11
महत्वपूर्ण संपर्क पते		12
अनुबंध		17



भूमिका

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी) संसद के एक अधिनियम (1980 का अधिनियम 52) द्वारा भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक विश्वविद्यालय की स्थिति के साथ राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। चार दशक से भी पहले संस्थान ने जिस चिकित्सा और प्रौद्योगिकी की संयुक्त संस्कृति का बीड़ा उठाया है, वह पुरानी हो गई है और भारत में अभूतपूर्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। संस्थान चिकित्सा विशिष्टताओं और सामाजिक प्रासंगिकता के स्वास्थ्य अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता, चिकित्सा उपकरणों और औद्योगिक महत्व की प्रौद्योगिकी के विकास में उन्नत सुपर स्पेशियलिटी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। देश में कम आसानी से उपलब्ध गतिविधियों जैसे कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल स्ट्रोककेयर, हृदयवक्ष एवं और बाहिनी शल्यचिकित्सा, मिर्गी के लिए शल्यचिकित्सा, माइक्रो न्यूरोसर्जरी, संचालन अनिमियतता के लिए डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन, नए जैवचिकित्सकीय उपकरणों और उत्पादों के विकास, वैश्विक विशिष्टताओं, नए शैक्षणिक कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा उपकरणों का मूल्यांकन आदि पर जोर दिया गया है।

संस्थान के तीन स्तंभ हैं- अस्पताल स्तंभ, जैवचिकित्सकीय प्रौद्योगिकी स्तंभ और अच्युत मेनोन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन केंद्र। इन स्तंभों में उत्कृष्ट शोध और सीखने के अवसर उपलब्ध हैं। संस्थान में चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और इंजिनियरों की एक समर्पित दल है जो उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा अनुसंधान, जैव चिकित्सा अनुसंधान और तकनीकी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समर्पित है।

संस्थान के उद्देश्य हैं:

- जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- उन्नत चिकित्सा विशिष्टताओं में रोगी देखभाल के उच्च मानकों को प्रदान करना और प्रदर्शित करना।
- उन्नत चिकित्सा विशिष्टताओं और जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी में उच्चतम गुणवत्ता के अभिनव स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।
- अनुसंधान, प्रशिक्षण और हस्तक्षेप के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों में भाग लेना।

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1980 संस्थान को चिकित्सा विज्ञान और जैवचिकित्सकीय अभियंत्रिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करने का अधिकार देता है और यह निर्धारित करता है कि संस्थान द्वारा दी गई चिकित्सा डिग्री और डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी और उन्हें उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल समझा जाएगा।



प्रस्ताव पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम- सत्र 2022
(आईएनआई-सीईटी से)

सीटों की संख्या, अवधि, पात्रता, वेतन

कार्यक्रम	सीटों की संख्या		अवधि (साल)	आवश्यक योग्यता
	सामान्य कोटा	प्रायोजित सीट		
एमडी आधान चिकित्सा	1	1	3	एमबीबीएस

वेतन (प्रति माह रुपय में)(प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर)

कार्यक्रम	अवधि	वेतनमान/प्रतिमाह आईएनआर में वजीफा
	3 साल	61300 +*

- संस्थान के नियमों के अनुसार लागू एचआरए, डीए और डीए पर टीए।



आईएनआई-सीईटी के माध्यम से अस्पताल स्कंध में पेश किए गए पीजी कार्यक्रमों का विवरण

1. स्नातकोत्तर कार्यक्रम

एमडी आधान चिकित्सा

प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) से एमबीबीएस की डिग्री या समकक्ष डिग्री के साथ प्रतिनिष्ठित मेडिकल कॉलेजों से एक साल की अनिवार्य रोटेटरी इंटरनशिप।

उम्मीदवारों ने 31.01.2022 तक अपेक्षित योग्यता, डिग्री और कार्यकाल पूरा कर लिया होगा। जिन उम्मीदवारों के उपरोक्त तिथि के बाद अपनी अपेक्षित योग्यता, डिग्री और कार्यकाल पूरा करने की संभावना है, वे इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या प्रवेश से इनकार किया जाएगा।

उम्मीदवार को एससीटीआईएमएसटी में प्रवेश के समय त्रावणकोर-कोचिन मेडिकल काउंसिल (टीसीएमसी) के साथ आवेदन करना चाहिए और पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।

ऊपरी आयु सीमा

चालीस वर्ष (1 जनवरी 2022 को), अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए और पांच साल से कम की सेवा के साथ योग्य भूतपूर्व सेवा कर्मियों के लिए पांच वर्ष की छूट।

प्रवेश प्रक्रिया

पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन एम्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईएनआई-सीईटी में रैंक सूची और एससीटीआईएमएसटी द्वारा प्रमाणपत्रों और अन्य क्रेडेंशियल्स / दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा किया जाता है। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश और चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट देखें: <https://www.aiimsexams.org>.

विशेष जानकारी

छात्रावास आवास

चयनित उम्मीदवारों (प्रायोजित को छोड़कर) को नियमों और उपलब्धता के अनुसार आवास प्रदान किया जाएगा। कनिष्ठ/वरिष्ठ निवासियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक बार आवंटित होने के बाद पीजी क्वार्टर्स/ छात्रावास में रहे। एक बार पात्र आवास आवंटित हो जाने के बाद किसी भी रहने वालों को कोई एचआरए का भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही वे आवंटित आवास पर कब्जा करते हों या नहीं। बिजली और पानी के शुल्कों पर आनुपातिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है यदि वे सिंगल/डबल/शेयरिंग/पारिवारिक आवास में हैं।



अध्ययन विषयवस्तु

प्रशिक्षण सख्ती से पूर्णकालिक और निरंतर है। प्रवेश के समय उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और परीक्षा योजना को कवर करने वाली एक पुस्तिका प्रदान की जाएगी। उन्हें जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, उसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से परिचित होना चाहिए। उन्हें संस्थान के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

अनुबंध सेवा

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चुने गए सभी छात्रों और वरिष्ठ निवासियों को कार्यक्रम की लंबाई के आधार पर एक अवधि के लिए सेवा के बंधन को निष्पादित करना आवश्यक है। चयन पत्र में निर्धारित तिथि तक अनुबंध बांड में शामिल होने या जमा करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम के लंबित रहने के दौरान किसी भी रूप में निजी प्रैक्टिस सख्त वर्जित है।

निष्पादित होने के लिए बाँड

- सामान्य श्रेणी के तहत सभी चयनित निवासियों को पचास लाख रुपये का बांड प्रस्तुत करना होगा। संबंधित चूककर्ता ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि आईएनआई-सीईटी द्वारा प्रवेश बंद करने की अंतिम तिथि के बाद पाठ्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया जाता है। प्रवेश बंद करने की अंतिम तिथि संस्थान की वेबसाइट (www.sctimst.ac.in) पर घोषित की जाएगी और साथ ही प्रवेश के समय उम्मीदवारों को इसकी सूचना दी जाएगी।

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

छात्रों और वरिष्ठ निवासियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी और इसमें ऐसे नैदानिक कार्य शामिल होंगे जो रोगी देखभाल और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य

चयन तब तक अनंतिम होगा जब तक कि संस्थान द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित नहीं किया जाता है। उम्मीदवार को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी बीमारियों की घोषणा करनी चाहिए और यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह जिस कठोर कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, उसे पूरा करने के लिए वह फिट है। मेडिकल बोर्ड की राय अंतिम होगी।

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत

सत्र 1 जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है। चयनित उम्मीदवार इस तिथि को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करेंगे, जिसका सत्यापन प्रवेश की पुष्टि के लिए अनिवार्य है।

निवासियों और छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता, प्रशिक्षण की इच्छा, योग्यता का अधिग्रहण, रोगी देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता, पारस्परिक संबंध और जल्द ही प्रवेश के बाद छह महीने के अंत में मूल्यांकन किया जाएगा।



कम अंक पाने वालों को अगले तीन महीनों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और असंतोषजनक पाए जाने पर एससीटीआईएमएसटी में उम्मीदवार का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, पाठ्यक्रम के अंतिम कार्य दिवस पर सामान्यतः 31 दिसंबर को उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं के विवरण के लिए कृपया पाठ्यक्रम देखें।

प्रायोजित उम्मीदवार

उम्मीदवारों को "प्रायोजित" के रूप में तभी माना जाएगा जब उन्हें सरकार, विश्वविद्यालयों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित किया जाएगा।

आईएनआई-सीईटी में रैंक के आधार पर एससीटीआईएमएसटी के लिए प्रायोजित श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की एक अलग रैंक सूची बनाई जाएगी और प्रायोजित रैंक सूची के आधार पर सीट की पेशकश की जाएगी।

आवेदन उचित माध्यम से होना चाहिए और अपने आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जमा करना चाहिए। प्रवेश के समय वित्तीय सहायता के साथ प्रायोजन शर्तों के संबंध में सरकारी आदेश प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रायोजन की पात्रता के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

1. एससीटीआईएमएसटी के सभी कार्यक्रमों में प्रायोजित सीटें उपलब्ध हैं।
2. प्रवेश पाने के इच्छुक सभी पात्र प्रायोजित उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा और सभी के लिए परिकल्पित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
3. अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवारों को प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है यदि उनकी सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित किया जाता है और भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार प्रवेश के लिए योग्य पाया जाता है।
4. प्रायोजित उम्मीदवारों को किसी अन्य प्रकार की वरीयता नहीं दी जाएगी।

प्रायोजित उम्मीदवार राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठी में भाग लेने के लिए सात दिनों के अवकाश के लिए पात्र हैं। वे संस्थान से वजीफा/वेतन, आवास, एचआरए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा अनुदान, टीए/डीए और सम्मेलनों के लिए पंजीकरण शुल्क आदि के लिए पात्र नहीं हैं।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रायोजित उम्मीदवारों की संख्या सामान्य कोटे की सीटों की संख्या के 50% से अधिक नहीं होगी।



विदेशी नागरिकों

संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी नागरिकों को स्वीकार करता है लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा [उनकी सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित होने की आवश्यकता है और भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र पाए गए हैं]। कार्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में रैंक सूची के आधार पर होगा। (आईएनआई-सीईटी) "प्रायोजित श्रेणी" के तहत उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार उन्हें प्रायोजित श्रेणी के रूप में माना जाएगा।

विदेशी नागरिकों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्र एससीटीआईएमएसटी में पाठ्यक्रम अवधि के दौरान चिकित्सा उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी लें। उक्त बीमा पॉलिसी की एक प्रति अंतिम प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए।

त्रावणकोर-कोचीन मेडिकल काउंसिल (टीसीएमसी) में विदेशी मेडिकल डिग्री का पंजीकरण प्रवेश के समय प्राप्त करने की आवश्यकता है।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:

कुलसचिव

एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेन्द्रम, केरल-695011, भारत

दूरभाष: 91-471-2524269/289/649/150

फाक्स:91-471-2446433 ईमेल:reg@sctimst.ac.in वेबसाइट: www.sctimst.ac.in



रैगिंग विरोधी शपद पत्र

संस्थान में सभी रूपों में रैगिंग प्रतिबंधित है

संस्थान में प्रवेश के समय सभी उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र के रूप में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार किसी भी प्रकार की रैगिंग में शामिल नहीं होगा और यदि रैगिंग पाया जाता है, तो संस्थान गलती करने वाले छात्रों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।

रैगिंग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह निम्नानुसार है: “भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, सरकार ने संस्थान के परिसर के अंदर और बाहर किसी भी रूप में रैगिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और संस्थान के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की रैगिंग की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्प किया है। जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शैक्षणिक संस्थान के भीतर या बाहर रैगिंग में भाग लेता है या उकसाता है, उसे संस्थान से निलंबित या निष्कासित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो रुपये 10,000/- तक हो सकता है। सजा में कक्षाओं में भाग लेने से, प्रवेश निलंबन को रद्द करना, फेलोशिप/छात्रावृत्ति और अन्य वित्तीय लाभों को रोकना/वापस लेना, परिणाम को रोकना या रद्द करना शामिल हो सकता है। निर्णय संस्थान के प्रधान द्वारा लिया जाएगा”।

रैगिंग का निषेध और दंड:

1. संस्थान के परिसर में और एससीटीआईएमएसटी के किसी भी भाग में और एससीटीआईएमएसटी के बाहर किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है।
 2. इस नियम के प्रयोजन के लिए रैगिंग का अर्थ साधारणतया किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य, आचरण या व्यवहार या कोई सामूहिक कार्य है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों/निवासियों की प्रमुख शक्ति या स्थिति लाई जाती है।
- नए नामांकित छात्रों/निवासियों या ऐसे छात्रों/निवासियों को सहन करना, जिन्हें किसी भी तरह से अन्य छात्रों/निवासियों द्वारा कनिष्ठ या निम्न माना जाता है;
- i) शारीरिक हमला या धमकी या शारीरिक बल का प्रयोग शामिल है।
 - ii) छात्राओं की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।
 - iii) स्थिति का उल्लंघन करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों/निवासियों की गरिमा और सम्मान।
 - iv) छात्र/निवासी का उपहास और अवमानना करना और उनके आत्म-सम्मान को प्रभावित करना।



- v) मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अभद्र हावभाव और अश्लील व्यवहार को शामिल करें।
- 3) एससीटीआईएमएसटी के संकायाध्यक्ष, सह संकायाध्यक्ष, कुलसचिव, छात्रावास वार्डन और विभागाध्यक्ष रैगिंग की किसी भी घटना की जांच कर सकते हैं और निदेशक को रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसमें शामिल लोगों की पहचान और घटना की प्रकृति क्या है। एससीटीआईएमएसटी के निदेशक रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इस मामले से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष और संबंधित सुनवाई और निवारण के लिए निडर होकर छात्र शिकायत और निवारण समिति/ रैगिंग-विरोधी समिति/सह संकायाध्यक्ष(संकाय एवं छात्र कार्य)/ एससीटीआईएमएसटी के शैक्षणिक कार्य प्रभाग से संपर्क कर सकता है।

रैगिंग-विरोधी समिति

1	निदेशक	अध्यक्ष
2	विभागाध्यक्ष, हृदयविज्ञान	सदस्य
3	विभागाध्यक्ष, सीवीटीएस	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष, तंत्रिकाविज्ञान	सदस्य
5	विभागाध्यक्ष, तंत्रिका शल्यचिकित्सा	सदस्य
6	विभागाध्यक्ष, विसंज्ञन विज्ञान	सदस्य
7	विभागाध्यक्ष, आईएस & आईआर	सदस्य
8	नर्सिंग में व्याख्याता	सदस्य
9	एक अभिभावक प्रतिनिधि	सदस्य
10	एक कनिष्ठ छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
11	एक वरिष्ठ छात्र प्रतिनिधि	सदस्य
12	सुश्री. प्रिया पी., प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
13	सहा प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक)	संयोजक



शुल्क संरचना

ब्यौरे	राशि (आईएनआर में)
प्रवेश शुल्क	₹ 2,000
शिक्षा शुल्क	₹ 58,000(प्रति वर्ष)
सावधानी जमा	₹ 10,000
परीक्षा शुल्क	₹ 10,000#
शोध मूल्यांकन शुल्क	₹ 1500
पहचान कार्ड	₹ 220
पुस्तकालय	₹ 1,000
छात्र कल्याण कोष	₹ 1,000
प्रमाणपत्र	₹ 1,000
विविध शुल्क	₹ 10,000

परीक्षा अधिसूचना के समय भुगतान करने की आवश्यकता है।

संस्थान द्वारा हर साल शुल्क में संशोधन किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण संपर्क पते

पद	नाम	दूरभाष सं.	ईमेल-आईडी
निदेशक-प्रभारी	डॉ अजित कुमार वी.के.	91-471-2524400	director@sctimst.ac.in
प्रधान-बीएमटी स्कंध	डॉ हरिकृष्ण वर्मा पी.आर.	91-471-2520201	headbmtw@sctimst.ac.in
संकायाध्यक्ष(शैक्षणिक कार्य)-प्रभारी	डॉ केशवदास सी.	91-471-2524500	dean@sctimst.ac.in
प्रधान एएमसीएचएसएस	डॉ शंकरा शर्मा पी.	91-471-2524232	sarma@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (पीएचडी कार्यक्रम)	डॉ मोहनन पी.वी.	91-471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ)	डॉ हरिकृष्णन एस.	91-471 - 2524457	drhari@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (संकाय एवं छात्र कार्य)	डॉ शैलजा पी एन.	91-471 - 2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन)	डॉ श्रीन्वासन के.	91-471 - 2524243	ksrini@sctimst.ac.in
सह संकायाध्यक्ष (पाठ्यक्रम & परीक्षा)	डॉ मणिकण्ठन एस.	91-471- 2524463/575	kanmanis@sctimst.ac.in
कुलसचिव	डॉ सन्तोष कुमार बी.	91-471 - 2524150	reg@sctimst.ac.in
उप कुलसचिव	सुश्री राधा एम	91-471 - 2524140	dreg@sctimst.ac.in
सहा प्रशासनिक अधिकारी (शैक्षणिक)	सुश्री चित्रा टी.एस.	91-471 - 2524269	regoffice@sctimst.ac.in

विभाग/प्रभाग के प्रधान

विभाग/प्रभाग	प्रधान	दूरभाष सं.	ईमेल-आईडी
एएमसीएचएसएस	डॉ शंकरा शर्मा पी.	91-471-2524240	sarma@sctimst.ac.in
अस्पताल स्कंध विसंज्ञन विज्ञान	डॉ थॉमस कोश	91-471-2524641	koshy@sctimst.ac.in
जेवरसायन-प्रभारी	डॉ श्रीनिवास जी.	91-471-2524689	srinivasg@sctimst.ac.in
नैदानिक अभियंत्रिकी प्रभाग	इ. षाज उपेन्द्रन	91-471-2524123	shaj@sctimst.ac.in
हृदयविज्ञान	डॉ कृष्णमूर्ती के एम.	91-471-2524452	kmkm@sctimst.ac.in
हृदयवाहिनी और वक्ष शल्यचिकित्सा	डॉ बैजू एस. धरन	91-471-2524648	bajjusd@sctimst.ac.in
सगणक प्रभाग-प्रभारी	इ. सुरेश कुमार बी	91-471-2524632	suresh@sctimst.ac.in
आधान चिकित्सा	डॉ देवाशिष गुप्ता	91-471-2524476	dgupta@sctimst.ac.in
सूक्ष्मजीवविज्ञान	डॉ कावेता राजा	91-471-2524222	kavita_raja@sctimst.ac.in
तंत्रिका विज्ञान	डा शैलजा पी.एन.	91-471-2524482	sylajapn@sctimst.ac.in
तंत्रिका शल्यचिकित्सा	डॉ ईश्वर एच.वी	91-471-2524632	easwer@sctimst.ac.in
नर्सिंग शिक्षा	सुश्री सुजा राज एल.	91-471-2524416	ins@sctimst.ac.in
पैथोलॉजी- प्रभारी	डॉ दीप्ति ए.एन	91-471-2524605	akkihebbal@sctimst.ac.in
इमेजिंग विज्ञान और हस्तक्षेप रेडियोलॉजी	डा बिजाय थॉमस	91-471-2524220	kesav@sctimst.ac.in
चिकित्सा अभिलेख	श्री शिवप्रसाद आर.	91-471-2524415	smro@sctimst.ac.in

जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकी (बीएमटी) विभाग

प्रधान-बीएमटी स्कंध-प्रभारी	डॉ हरिकृष्ण वर्मा पी.आर.	0471-2520201	varma@sctimst.ac.in
सहा.प्रधान बीएमटी स्कंध	इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान विभाग	डॉ माया नन्दकुमार ए.	0471-2520260/250	anmaya@sctimst.ac.in
जैव सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
चिकित्सा उपकरण अभियंत्रिकी विभाग	डॉ रांय जासफ	0471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता प्रबंधन विभाग	इं. बलराम एस.	0471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
कृत्रिम आंतरिक अवयव	इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2520259	muralicv@sctimst.ac.in
बायोसिरेमिक्स प्रयोगशाला	डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520320	manoj@sctimst.ac.in
विष विज्ञान विभाग	डॉ मोहनन पी.वी.	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
बायोफोटोनिक्स और इमेजिंग विभाग	डॉ जयश्री आर.एस.	0471-2520273	jayasree@sctimst.ac.in
जैव सतक प्रौद्योगिकी विभाग	डॉ रेखा एम.आर.	0471-2520214	rekhamr@sctimst.ac.in
अंशांकन प्रकोष्ठ	इं. लीना जोसफ	0471-2520279	leenaj@sctimst.ac.in

दंत चिकित्सा उत्पादों का प्रभाग	डॉ लिसिमोल पी.पी.	0471-2520221	lizymol@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी पैथोलॉजी	डॉ अनिलकुमार टी.वी.	0471-2520305	tvanilkumar@sctimst.ac.in
एक्स्ट्राकोर्पोरियल उपकरणों का प्रभाग	इं.नागेश डी.एस.	0471-2520217	nagesh@sctimst.ac.in
प्रत्यारोपण जीवविज्ञान	डॉ शबरीश्वरन ए.	0471-2520311	asw@sctimst.ac.in

इन विवो मोडलस और टेस्टिंग	डॉ उमाशंकर पी.आर.	0471-2520226	umashnkr@sctimst.ac.in
प्रयोगशाला पशु विज्ञान	डॉ हरिकृष्णन वी.एस.	0471-2520227	harikrishnan@sctimst.ac.in
चिकित्सा उपकरण	इं. मुरलीधरन सी.वी.	0471-2524259	muralicv@sctimst.ac.in
सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी	डॉ माया नन्दकुमार ए.	0471-2520260/250	anmaya@sctimst.ac.in
आणविक चिकित्सा विभाग	डॉ अनूप कुमार टी.	0471-2520256/257	anoop@sctimst.ac.in
केंद्रीय विश्लेषणात्मक सुविधा	डॉ रॉय जोसफ	0471-2520275	rjoseph@sctimst.ac.in
पॉलिमेरिक चिकित्सा उपकरणों का प्रभाग	डॉ रमेश पी. डॉ रॉय जोसफ	0471-2520225/265/275	rameshp@sctimst.ac.in
सटीक निर्माण सुविधा	इं. रमेश बाबु वी.	0471-2520245	ramesh@sctimst.ac.in
निद्रा विकार खंड	डॉ कमलेश के गुलिया	0471-2520450	kkgulia@sctimst.ac.in
प्रौद्योगिकी व्यवसाय/टीआई मेड	इं. बलराम	0471-2520308	balrams@sctimst.ac.in
घनास्त्रता अनुसंधान इकाई	डॉ अनुज्ञा भट्ट	0471-2520219	anugyabhatt@sctimst.ac.in
ऊतक संवर्धन	डॉ अनिलकुमार पी.आर.	0471-2520261	anilkumarpr@sctimst.ac.in
ऊतक अभियंत्रिकी और पुनर्योजी प्रौद्योगिकी	डॉ प्रभा डी. नायर	0471-2520242	prabha@sctimst.ac.in
विष विज्ञान	डॉ मोहनन पी.वी.	0471-2520266	mohanpv@sctimst.ac.in
इलेक्ट्रन सम्प्रेषित दूरदर्शी	डॉ मनोज कोमत्त	0471-2520220	manoj@sctimst.ac.in

छात्र आरक्षण और समान अवसर प्रकोष्ठ

1.	सह संकायाध्यक्ष (संकाय एवं छात्र कार्य)	संपर्क अधिकारी (पदेन)
2.	संस्थान में छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए नोडल अधिकारी	सदस्य (पदेन)
3.	डॉ रॉय जोसफ	वैज्ञानिक जी., बीएमटी स्कंध-सदस्य
4.	डॉ बिजू सोमन	प्राचार्य-एएमसीएचएसएस-सदस्य
5.	डॉ उष्णिक्कृष्णन के पी.	प्राचार्य-विसंज्ञनविज्ञान विभाग-सदस्य
6.	इं रंजित जी.	इंजिनियर-ई-सदस्य
7.	श्री आनंदकुमार के.यू.	अभिभावक प्रतिनिधि
8.	कुलसचिव	सदस्य
9.	सुश्री दीप्ति चन्द्रन	छात्र सदस्य
10.	उप कुलसचिव	संयोजक

छात्र शिकायत और निवारण समिति			
प्रेफ. श्रीनिवास वी.जी	अध्यक्ष	+91-471-2520241	shri@sctimst.ac.in
प्रोफ. नारायण नम्बूतिरि के.के.	सदस्य	+91-471-2524384	kknamboodiri@sctimst.ac.in
डॉ कृष्णकुमार के.	सदस्य	+91-471-2524246	kkns@sctimst.ac.in
डॉ अनूपकुमार टी.	सदस्य	+91-471-2520256	anoop@sctimst.ac.in
प्रोफ. राखाल गायतोंडे	सदस्य	+91-471-2520241	rakhal.gaitonde@sctimst.ac.in
डॉ रविप्रसाद वर्मा	सदस्य	+91-471-2520261	rpvarma@sctimst.ac.in
श्रीमती सुजा राज	सदस्य	+91-471-2520416	ins@sctimst.ac.in
सुश्री दीप्ति चन्द्रन	छात्र सदस्य	+91-471-2520596	deepthy@sctimst.ac.in
स्कंध का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छात्र सदस्य जहां शिकायत हुई है, संकायाध्यक्ष/निदेशक द्वारा नामित किया जाना है।			

एमडी कनिष्ठ निवासियों के लिए बॉन्ड फॉर्मेट

समझौते के लेख, दो हजार बाईस के इस दिन को
के पुत्र/पुत्री केबीच बनाया(जिसे इसके बाद कनिष्ठ
निवासी कहा जाता है) एक हिस्से और दूसरे हिस्से का श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी
संस्थान , त्रिवेंद्रम (इसके बाद इसके निदेशक के माध्यम से संस्थान कहा जाता है।

जबकि संस्थान जनवरी 2022 के दिन से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए कनिष्ठ निवासी के
रूप में पहले भाग के हिस्से को स्वीकार करने का इरादा रखता है।

और इसके पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि कनिष्ठ निवासी यहां निहित नियमों और ओर शर्तों
पर संस्थान की सेवा करेगा।

अब ये गवाह प्रस्तुत करते हैं और इसके पक्षकार क्रमशः इस प्रकार सहमत होते हैं:

1. कनिष्ठ निवासी संस्थान और अधिकारियों आदेशों के लिए खुद को प्रस्तुत करेगा, जिनके तहत उन्हें
समय-समय पर निदेशक, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा चिकित्सा
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में रखा जा सकता हैकनिष्ठ निवासी
कीवर्ष की अवधि के लिए जनवरी, 2022 के दिन से शुरू होकर उसकी
दिन की सेवाएं समाप्त होने तक पहले जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।



2. कनिष्ठ निवासी की सेवाएं निम्नानुसार समाप्त की जा सकती हैं:

(i) संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यदि

संस्थान के निदेशक चिकित्सा साक्ष्य पर संतुष्ट हैं कि कनिष्ठ निवासी अयोग्य है और अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए अस्वस्थता के कारण काफी समय तक अनुपयुक्त रहने की संभावना है, बशर्ते कि निदेशक का निर्णय कि कनिष्ठ निवासी अनफिट है और उसके अनफिट रहने की संभावना है, वह निर्णायक होगा और उसके लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) संस्थान के निदेशक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि कनिष्ठ निवासी किसी भी अवज्ञा हस्तक्षेप या अन्य कदाचार या समझौते के किसी भी प्रावधान या इस संबंध में संस्थान से संबंधित किसी भी नियम के किसी भी उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन का दोषी होगा निर्णायक हो और उस पर बाध्यकारी हो।

(iii) इस अनुबंध के तहत सेवा के दौरान किसी भी समय संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए तीस दिन की लिखित सूचना दी जाती है।

बशर्ते कि संस्थान के निदेशक यहां दिए गए किसी सूचना के एवज में कनिष्ठ निवासी को तीस दिनों के लिए उसके वेतन की राशि के बराबर राशि या तीस दिन से कम सूचना दे सकते हैं।

3. यदि कनिष्ठ निवासी को उसके आचरण की जांच के संबंध में कर्तव्य से निलंबित कर दिया जाता है तो वह निलंबन की ऐसी अवधि के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

4. कनिष्ठ निवासी अपना पूरा समय उक्त सेवा के कर्तव्यों के लिए समर्पित करेगा और अपने स्वयं के खाते में किसी भी व्यापार/व्यवसाय/पेशे (किसी भी निजी अभ्यास सहित) में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होगा और (दुर्घटना या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बीमारी के मामले को छोड़कर) संस्थान के निदेशक या उसके अधिकृत अधिकारियों से पहले अनुमति प्राप्त किए बिना खुद को अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं करता है।



5. कनिष्ठ निवासी, इस अनुबंध में दिए गए प्रावधान के अलावा, संस्थान द्वारा प्रवेश दिए गए पाठ्यक्रम को पूरा किए बिना अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। संबंधित चूककर्ता ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि प्रवेश बंद होने की अंतिम तिथि के बाद, अर्थात्को या उसके बाद छोड़ने का निर्णय लिया जाता है।
6. के दिन से.....2022 तक संस्थान कनिष्ठ निवासी को तब तक भुगतान करेगा जब तक वह उक्त क्षमता में रहता है और वास्तव में पूर्वोक्त रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, एक मासिक वेतन संस्थान के नियमों के अनुसार।
7. कनिष्ठ निवासी को बाद के शैक्षणिक वर्ष के 31 जनवरी को या उससे पहले निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना चाहिए।
8. कनिष्ठ निवासी चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के संबंध में ऐसी रियायत के लिए पात्र होगा जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
9. कनिष्ठ निवासी को उनकी पात्रता के अनुसार छात्रावास में सिंगल/डबल/पारिवारिक आवास प्रदान किया जाएगा। कनिष्ठ निवासी को उस संस्थान के छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा जहां वह रहता है और केवल लाइसेंसधारी के रूप में उसे आवंटित कमरे पर कब्जा करेगा। जब संस्थान पात्र आवास की पेशकश करने में असमर्थ है, तो संस्थान के नियमों के अनुसार ऐसे कनिष्ठ निवासियों को एचआरए का भुगतान किया जा सकता है।
10. कनिष्ठ निवासी कार्यकाल की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर या उससे पहले कनिष्ठ निवासी की समाप्ति की स्थिति में उसे दिए गए आवास को पूर्वोक्त रूप में खाली कर देगा। संस्थान के निदेशक, जहां ऐसा आवास प्रदान किया जाता है, यदि कनिष्ठ निवासी ऐसे आवास को खाली करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है और निदेशक को उसका शांतिपूर्ण कब्जा देने की स्थिति में बेदखली के लिए कार्रवाई करने का हकदार होगा।
11. अध्ययन के अनुसरण में शैक्षणिक कार्य करने के अलावा, वह विभाग/इकाइयों के प्रमुख द्वारा सौंपे गए सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, जहां उसे रोगी देखभाल और अस्पताल के संचालन के हित में उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाने वाले रिकॉर्ड और ऐसे अन्य नैदानिक और तकनीकी कर्तव्यों का रखरखाव। निदेशक का निर्णय



कनिष्ठ निवासी ने उपरोक्त सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है या नहीं, यह संस्थान के कनिष्ठ निवासी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12. कनिष्ठ निवासी के काम के घंटे आम तौर पर एक दिन में बारह घंटे से अधिक के लिए निरंतर झूटी से अधिक नहीं होंगे, ऐसी अत्यावश्यकताओं के अधीन जो विभाग (इकाइयों/वार्डों) के कामकाज में उत्पन्न हो सकती हैं, जहां उन्हें रखा जा सकता है और इसमें सम्मान भी संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और कनिष्ठ निवासी पर बाध्यकारी होगा।

13. कनिष्ठ निवासी कॉल और स्टे झूटी पर होने के लिए उत्तरदायी होगा, जो सामान्य रूप से एक बार में 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।

14. अवधि के दौरान वह संस्थान के नियमों के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा/होगी।

15. कनिष्ठ निवासी को उसकी पढाई के दौरान कहीं और नौकरी की स्थिति/असाइनमेंट के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस तरह के आवेदन को समझौते की वैधता के दौरान अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

16. कनिष्ठ निवासी को उसकी पढाई बंद होने की स्थिति में संतोषजनक कार्य, अनुभव, प्रदर्शन आदि के किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र/ प्रशंसापत्र जारी नहीं किया जाएगा।

17. संस्थान में किसी भी रूप में रैगिंग निषिद्ध है और जो साथी कनिष्ठ निवासी की रैगिंग का सहारा लेते हुए पाए जाते हैं और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैंने इस टिप्पणी को पढ़ लिया है और इसका पालन करता हूं।

गवाह में जहां वे कनिष्ठ निवासी और संस्थान के संकायाध्यक्ष और संस्थान की ओर से यहां पहले दिन और वर्ष के लिए अपना हाथ निर्धारित करना है।

जमानत शर्तें

गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए (ब्लॉक अक्षरों में)

(कनिष्ठ निवासी का नाम एवं हस्ताक्षर)

साक्षी के हस्ताक्षर नाम और पते के साथ

1.

2.

संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)

एससीटीआईएमएसटी, तिरुवनन्तपुरण केलिए और उसकी ओर से

अनुलग्नक- II

मैं श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में एक कनिष्ठ निवासी, यह समझता हूँ कि मेरी शैक्षणिक क्षमता, प्रशिक्षण के लिए इच्छा, क्षमता का अधिग्रहण रोगी देखभाल के प्रति प्रतिबन्धता, पारस्परिक संबंध आदि के लिए उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद छह महीने के अंत में मेरा मूल्यांकन किया जाएगा। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि मेरा अंक कम है, तो मुझे अगले 3 महीनों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और असंतोषजनक, मेरा पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा।

मैं श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने का वचन देता हूँ। मेरे अध्ययन छोड़ने की स्थिति में ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) का राशि, यदि कार्यग्रह के दूसरे दिन या उसके बाद, छोड़ने का निर्णय लिया जाता है।

दिनांक:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए: (नाम एवं पता)

1. हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर



अस्वीकरण

जबकि प्रकाशन के समय इस जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, प्रकाशन के समय और उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी को देखने के समय के बीच परिवर्धन, अध्यतन, परिवर्तन और परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकते हैं। संस्थान उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है कि किसी भी संदेह के मामले में शैक्षणिक प्रभाग (0471-2524269) के साथ जानकारी की सटीकता और पूर्णता को सत्यापित करें।

